यह निरीक्षण प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रुड़की, (हरिद्वार) द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रुड़की के माह 03/2016 से 08/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री गौरव पंत, वरिष्ठ लेखापरीक्षक, श्री अनूप सिंह चौहान, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी तथा श्री राजा रंजन राव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा श्री शशि कान्त पाण्डेय लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनांक 10.09.2018 से 13.09.2018 तक सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री रवि शंकर सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 14.03.2016 से 18.03.2016 तक श्री बी.डी.सिंह वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 11/2011 से 02/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 03/2016 से 08/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी है।
2. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः-** कार्यालय उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय है जिसमे जनपद हरिद्वार मे स्थापित उधोगों मे प्रदूषण नियंत्रण से संबन्धित स्थापना एवं संचालन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र (CTE/CTO) प्रदान किया जाता है तथा जनपद हरिद्वार मे प्रदूषण नियंत्रण संबंधी अन्य कार्य किए जाते हैं।
   कार्यालय का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र उत्तराखण्ड राज्य का जनपद हरिद्वार है।

(ii) (अ) विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2015-16	-	-	69.40	51.04	-	-	*	
2016-17	-	-	94.00	57.73	-	-	*	
2017-18	-	-	109.25	62.07	-	-	*	
2018-19 upto Aug. 2018	-	-	0.00	28.70	-	-	*	

*मुख्यालय द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय को धनराशि का आवंटन प्रोविजनल आधार पर किया जाता है जिसके कारण क्षेत्रीय कार्यालय मे बचत/ आधिक्य शेष नहीं रहता।

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(` लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	आधिक्य (+)	बचत(-)
2015-16	NAMP	-	0	5.76		-5.76
2016-17		-	0	5.97		-5.97
2017-18		-	0	5.88		-5.88
2018-19 upto Aug 2018		-	0	2.21		-2.21

उपरोक्त योजना मे मुख्यालय स्तर पर धनराशि प्राप्त होती है जिसके कारण प्राप्त धनराशि का विवरण कार्यालय द्वारा नहीं दिया गया है एवं व्यय धनराशि को बचत मे दिखाया गया है।

(iii) इकाई को बजट प्रावधान आवंटन UEPPCB, Head Office, Dehradun द्वारा दिया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई ”सी” श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. चेयरमैन
2. सदस्य सचिव
3. मुख्य पर्यावरण अभियन्ता एवं मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी
4. क्षेत्रीय अधिकारी- पर्यावरण अभियन्ता/ वैज्ञानिक अधिकारी

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** क्षेत्रीय कार्यालय उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रुड़की (हरिद्वार)। यह निरीक्षण प्रतिवेदन क्षेत्रीय अधिकारी, रुड़की की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 10/2017 एवं 07/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया|

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-1- उद्देश्यों की अप्राप्ति के फलस्वरुप जल जनित प्रदूषण पर अप्रभावी नियंत्रण रहना।

The objective of water quality monitoring –

(i) Rational planning of pollution control strategies and their prioritisation

(ii) To assess nature and extent of pollution control needed in different water bodies or their part

(iii) To evaluate effectiveness of pollution control measures already in existence

(iv) To evaluate water quality trend over a period of time

(v) To assess assimilative capacity of a water body thereby reducing cost on pollution control

(vi) To understand the environmental fate of different pollutants

(vii) To assess the fitness of water for different uses.

Besides the above said, the Guidelines prescribe for parameters and frequency of monitoring in surface water and groundwater.

(viii) लेखा परीक्षित इकाई द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना/दस्तावेजों की जांच मे पाया गया की इकाई के पास न तो कोई pollution control strategies and their prioritisation से संबन्धित कोई प्लानिंग थी न ही Guidelines के अनुसार सभी पैरामीटर की मोनिट्रिंग की जा रही थी । जिसके कारण उपरिलिखित उद्देश्य अप्राप्त रहे। परिणामतः जल जनित प्रदूषण पर अप्रभावी नियंत्रण रहना।

(ix) इकाई ने अपने उत्तर मे उल्लेख किया की quality testing of water के माध्यम से उद्देश्यों की प्राप्ति की जा रही है।पुनः मानव शक्ति/लोजीस्टिकस की कमी कारण सभी पैरामेटर की मोनिट्रिंग नहीं जो पा रही है ।

इकाई का उत्तर अस्वीकार्य है क्योकि प्रथमतः उपरिलिखित उद्देश्यों का प्राप्त किया जाना प्रदूषण नियंत्रण हेतु अनिवार्य है और इकाई द्वारा मानव शक्ति/लोजीस्टिकस की कमी को दूर करने हेतु कोई उपाय नहीं किए गए ।

प्रकरण उचित कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है ।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-2- 647 उधोगों से संचालन अनुमति प्रदान करने के लिए ली जाने वाली ₹ 46.80 लाख की धनराशि प्राप्त किया जाना लंबित रहना।

भारत सरकार द्वारा अधिनियमित जल (प्रदूषण निवारण वं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 द्वारा निर्देशित किया जाता है कि सभी उद्योग/होटल/रेस्टोरेन्ट/शहरी स्थानीय निकाय एवं अन्य सम्बन्धित उद्योग संचालन से पूर्व या संचालन के दौरान उद्योग में परिवर्तन या विस्तार होने पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण कार्यालय से संचालन अनुमति (**CTO- Consent to Operate**) प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

कार्यालय द्वारा माह 03/2016 से 08/2018 तक के उपलब्ध कराये गये उद्योगों को Water Act, Air Act and HW Rules-2016 के अन्तर्गत संचालन अनुमति (**CTO- Consent to Operate**) प्रदान करने सम्बन्धी अभिलेखों की जांच में पाया गया कि क्षेत्रीय कार्यालय रूडकी में कुल 2833 उद्योगों (Red Cat.-271, Orange Cat.-1153, Green Cat.-1113, White Cat.-180 एवं Category not Known 116) को संचालन अनुमति (**CTO- Consent to Operate**) प्रदान किया गया था लेकिन लेखापरीक्षा तिथि तक मात्र 923 उद्योगों (Red Cat.-92, Orange Cat.-393, Green Cat.-396, White Cat.-30) द्वारा ही संचालन अनुमति (**CTO- Consent to Operate**) **Renewal** प्राप्त किया गया था। जबकि 647 उद्योगों (Red Cat.-120, Orange Cat.-496, Green Cat.-378, White Cat.-108 एवं Category not shown in list-48) द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण कार्यालय से संचालन अनुमति (**CTO- Consent to Operate**) प्राप्त नहीं लिया गया है जिसके कारण कार्यालय द्वारा 647 उद्योगों के संचालनार्थ ली जाने वाली Consent to Operate फीस कुल धनराशि ₹ 46,79,860/-(Red Cat. से ₹ 4,75,000, Orange Cat. से ₹ 41,90,000 एवं Green Cat. से ₹14,860) की प्राप्ति किया जाना था. इन उद्योगों के Consent to Operate Renewal के लिये निर्धारित शुल्क यथा Red/orange cat हेतु न्यूनतम Renewal फीस ₹5000/- प्रति उद्योग एवं Green Cat हेतु न्यूनतम ₹ 0-20 प्रति उद्योग के आधार पर गणना की गयी है।

लेखा परीक्षा द्वारा उद्योगों के संचालनार्थ ली जाने वाली Consent to Operate फीस कुल धनराशि ₹ 46,79,860/-(Red Cat. से₹ 4,75,000, Orange Cat. से ₹41,90,000 एवं Green Cat. से ₹14,860) की प्राप्ति की जाने के संबंध में पूछे जाने पर इकाई द्वारा तथ्यो एवं आंकड़ो की पुष्टि करते हुए अवगत कराया गया कि उधोगों के सहमति एवं कार्यवाही संबंध में प्रकरण विचाराधीन है। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इकाई द्वारा इंगित किये गये 647 उद्योगों से CTO Renewal फीस को प्राप्त नहीं किया जा रहा था।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-1- उपनल के माध्यम से कांट्रैक्ट पर कार्यरत वैज्ञानिक सहायक को यात्रा भत्तों का 3446 का अनियमित भुगतान किया जाना।

उपनल के माध्यम से कांट्रैक्ट पर वैज्ञानिक सहायक के पद पर कार्यरत श्री मोहित रोहिला को कार्यालय द्वारा दैनिक भत्ता, यात्रा भत्ता एवं अन्य भत्तो का भुगतान 4200 ग्रेड पे के आधार पर कार्यालय मे कार्यरत नियमित कर्मचारी के आधार पर किया गया था। सभी लेखो की जांच मे कांट्रैक्ट मे कार्यरत किसी कर्मचारी को नियमित कर्मचारी के आधार पर भत्तो के भुगतान हेतु कोई अभिलेख या पारित प्रस्ताव उपलब्ध नहीं कराया गया ।लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर इकाई द्वारा उत्तर मे कहा गया कि इस संबंध मे बोर्ड मुख्यालय से निर्देश प्राप्त कर अधतन आख्या प्रस्तुत की जाएगी।

उपरोक्त प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
228/2015-16	-	1,2 & STAN-1

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
इकाई द्वारा लेखापरीक्षा को सूचित किया गया कि अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या सीधे लेखापरीक्षा कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.... शून्य ....

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु क्षेत्रीय कार्यालय उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रुड़की, हरिद्वार तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः** शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः**

(i) शून्य।

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम. स.	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
1.	डॉ॰ अंकुर कंसल	क्षेत्रीय अधिकारी	31-07-2012 से 23-12-2016 तक
2.	श्री पी के जोशी	क्षेत्रीय अधिकारी	23-12-2016 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रुड़की, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.